

फैक्स संदेश संख्या... / मा. फू. अ. व. मुख्या.
 दिनांक... 22/01/2016
 पृष्ठों की संख्या... 02

FAX

INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
 KRISHI BHAVAN: NEW DELHI-1

No. ADMN/7/12 /2016-WS

Dated the 22 January, 2016

OFFICE MEMORANDUM

Sub: **One day Workshop on "Disposal of Appeal under RTI" to be held on 04th March, 2016 at ISTM, New Delhi.**

The Institute of Secretariat Training and Management (ISTM), New Delhi has invited nominations for One day Workshop on "Disposal of Appeal under RTI" to be held on 04th March, 2016 at ISTM, New Delhi. The aim of the Workshop to provide to the first appellate authorities under RTI Act 2005; a platform to discuss various nuances of considering an appeal against denial of information. Details of the Workshop are as under:-

Objectives: By the end of the workshop, the participants will be able to:-

- Admit a fully referenced appeal;
- Scan CPIOs action on original request for information; and
- Respond through a speaking order.

Course Contents:

- Details of appeal by a requester or a third party
- Grounds for appeal
- Consideration of appeal.

Eligibility Conditions: Officers senior in rank to the PIOs In various public authorities, having the responsibility to function as appellate authority under RTI Act, 2005.

The eligible and interested officers, who are functioning as Appellate Authority under the RTI Act may send their nomination in the prescribed nomination form through proper channel latest by 29.01.2016 for onward transmission to ISTM, New Delhi. **The Nomination Form may be downloaded from ICAR website under Col. Circular / Work Study Section/Revised Nomination Form for ISTM training programme.**

The Officers who have already attended this training course need not apply. The applicants will not be allowed to withdraw their nominations after acceptance by ISTM, New Delhi.

S. Dasg - Man
 (Suparna Dasgupta)
 Under Secretary (WS)

DISTRIBUTION:

1. All Appellate Authorities under RTI Act working at ICAR Hqrs through website only.
2. All the Appellate Authorities under RTI Act of ICAR Institutes/NRCs / PDs/Bureaux.
3. ISO, DKMA, KAB for uploading the same on ICAR Web-site.
4. Guard File

Display in
 HED webpage
 9-9-11/01/2016

AAO (ESM)
 25/1

AO
 25/1

33
 25/1/16
 116
 44037
 22/01/2016
 Indian Institute of Spices



फैक्स

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
कृषि भवन, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली-110 001

फा०सं० प्रशा०-7/12/2016- का०अ०

दिनांक ११ जनवरी, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली में दिनांक 04.03.2016 को 'आर टी आई के तहत अपील का निपटान' पर एक दिवसीय कार्यशाला।

सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली में दिनांक 04.03.2016 को 'आर टी आई के तहत अपील का निपटान' पर एक दिवसीय कार्यशाला के लिए सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली द्वारा नामांकन आमंत्रित किये गये हैं। इस कार्यशाला का उद्देश्य प्रथम अपीलीय अधिकारियों (आर टी आई अधिनियम - 2005 के तहत) को सूचना मना करने के विरुद्ध अपील पर विचार करने के संबंध में विभिन्न अन्तर्गों पर एक मंच प्रदान करना है। कार्यशाला का विवरण निम्नलिखित है:-

उद्देश्य:- कार्यशाला के समाप्ति पर, प्रतिभागी निम्न के लिए समर्थ होंगे।

- एक पूर्ण संदर्भित अपील को स्वीकार करना।
- सूचना के लिए मूल अनुरोध पर स्कैन सी.पी.आई.ओ. एक्शन, तथा
- स्पष्टीकारक आदेश के जरिये उत्तर

पाठ्यक्रम विषय:-

- अनुरोधकर्ता अथवा तीसरे पक्ष द्वारा अपील का ब्यौरा
- अपील के लिए आधार
- अपील पर विचार

पात्रता:-

विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकारियों में पी. आई. ओ. के पद में वरिष्ठ अधिकारी जिनकी आर.टी.आई अधिनियम-2005 के तहत अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करने की जिम्मेवारी है।

वे पात्र तथा इच्छुक अधिकारी जो आर टी आई अधिनियम के तहत अपीलीय अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं, अपने नामांकन प्रपत्र सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से परिषद को दिनांक 29.01.2016 तक भेज दें ताकि उसे सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली को अग्रेषित किया जा सके। नामांकन पत्र आईसीएआर वेबसाइट के (सर्कुलर/वर्कस्टडी/आईएसटीएम प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए संशोधित नामांकन पत्र) से डाउनलोड किये जा सकते हैं।

जो अधिकारी इस कार्यशाला में पहले ही भाग ले चुके हैं वे इसके लिए पुनः आवेदन न करें। सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली द्वारा नामांकन स्वीकारोक्ति के पश्चात आवेदक को अपना नाम वापस लेने की अनुमति नहीं होगी।

21/1/2016

(सुषर्णा दासगुप्ता)

अवर सचिव (का०अ०)

वितरण

1. भा.कृ.अ.प. मुख्यालय, कृषि भवन के आर. टी. आई. अधिनियम के तहत कार्य कर रहे समस्त अपीलीय अधिकारी को वेबसाइट के माध्यम से।
2. भा.कृ.अ.प. के समस्त संस्थानों / रा.अ.के. / प्रा.नि. / ब्यूरो के निदेशक।
3. आई.एस.ओ. डीकेएमए, कृ.अ.भ.- 1 पूसा, नई दिल्ली को वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
4. गार्ड फाइल।